न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02/2019 GCMS No 2019/00223
दायरा तिथि : 03.01.2019
फैसला तिथि : 21.12.2021

प्रार्थी ::–

अमरसिंह पुत्र शंकरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी कुमटिया रोड बेडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. खीमसिंह पुत्र शंकरसिंहजी
3. कानसिंह पुत्र शंकरसिंहजी
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र शंकरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
   निवासी बेडा तहसील बाली के कायम मुकाम वारिसानः–
   4/1 श्रीमति शारदा कंवर पत्नि लक्ष्मणसिंहजी
   4/2 जसवंतसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंहजी
   4/3 विक्रमसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंहजी
   4/4 श्रीमति भावनाकंवर पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंहजी तमाम जातिगण रावणा राजपुत
   निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
5. रणजीतसिंह पुत्र शंकरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
   निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

–:: आदेश ::– **दिनांक 21.12.2021**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही पुश्तैनी भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम के खसरा नंबर 1849, 1850, 1851, 1852 कुल खसरा–04 कुल रकबा 1.27 हैक्टर में बतौर सह खातेदार दर्ज अपने नाम **अम्बासिंह पुत्र शंकरसिंह को त्रुटिपुर्ण** बताते हुये अपना **सही वास्तविक नाम अमरसिंह पुत्र शंकरसिंह** दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य नामान्तरकरण संख्या 254 की सत्यापति प्रति, वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रति, प्रार्थी अमरसिंह के स्कूलिंग सर्टिफिकेट टी.सी. की प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा जारी सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1973 की प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत बेडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की प्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो प्रति, मारवाड ग्रामीण बैंक, बेडा द्वारा जारी पासबुक की फोटो प्रति, राशन कार्ड, इत्यादि की प्रतियॉं पेश की गई। एवं साथ ही प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर हितबद्व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं साथ ही अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थना पत्र का जबाव मय पटवारी हल्का बेडा चक प्रथम की रिपोर्ट के साथ भूमिधारी तहसीलदार, बाली की ओर पेश किया। अपने जबाव में अप्रार्थी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रार्थी के पिता के फौतेदगी नामान्तरकरण के समय त्रुटिपुर्ण नाम अम्बासिंह पुत्र शंकरसिंह दर्ज किया जाना बताया, जो वर्तमान अभिलेखों में बदस्तुत कायम है। प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी का नाम **अमरसिंह पुत्र शंकरसिंह** ही होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम अम्बासिंह पुत्र शंकरसिंह के स्थान पर सही व वास्तविक नाम **अमरसिंह पुत्र शंकरसिंह** हिस्सा अनुसार दुरस्त कना उचित बताया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के जवाब एवं पटवारी हल्का बेडा प्रथम की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम फौतेदगी नामान्तरकरण के दौरान् त्रुटिपुर्ण दर्ज हुआ है, जो अब तक राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपुर्ण दर्ज चला आ रहा है, जबकि प्रार्थी के पास धारित दस्तावेजो में **सही नाम अमरसिंह पुत्र शंकरसिंह** दर्ज है। जिससे वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम के खसरा नंबर 1849, 1850, 1851, 1852 कुल खसरा–04 कुल रकबा 1.27 हैक्टर में बतौर सह खातेदार दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम **अम्बासिंह पुत्र शंकरसिंह** के स्थान पर प्रार्थी का **सही वास्तविक नाम अमरसिंह पुत्र शंकरसिंह** दुरस्त किया जाना विधि अनुसार न्याय संगत हैं।

पेज लगातार.......02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02/2019 GCMS No 2019/00223
अनवान अमरसिंह बनाम राज.सरकार जरिये तहसीलदार, बाली वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम बेडा चक प्रथम के खसरा नंबर 1849, 1850, 1851, 1852 कुल खसरा–04 कुल रकबा 1.27 हैक्टर में बतौर सह खातेदार दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम अम्बासिंह पुत्र शंकरसिंह की बजाय** प्रार्थी का **सही वास्तविक नाम अमरसिंह पुत्र शंकरसिंह** दुरस्ती के माध्यम से **शुद्ध करते हुये हिस्सा अनुसार अधिकार अभिलेखों में दर्ज** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडा प्रथम को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक **21.12.2021** को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned with CamScanner